पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 8063

==========

राज कुमार झा, पिता- श्रीकांत झा, निवासी- गाँव-काशीपुर, थाना-समस्तीपुर, जिला-समस्तीपुर, बिहार।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण), बिहार, पटना।
3. उप महानिरीक्षक, मुंगेर रेंज, मुंगेर।
4. सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण), बिहार, पटना।
5. पुलिस अधीक्षक, जमुई।
6. जिला लेखा अधिकारी, जमुई

.....प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री प्रिंस कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री पी. के. वर्मा (एएजी-3)

श्री सरोज कुमार शर्मा, ए.सी. से एएजी-3

==========

रद्द करना - मुंगेर के उप महानिरीक्षक द्वारा जारी ज्ञापन संख्या 2470 दिनांक 24/4/2023 को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए, जिसमें याचिकाकर्ताओं को दिए गए एमएसीपी को मुंगेर के उप महानिरीक्षक द्वारा वापस ले लिया गया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं को दिए गए एमएसीपी को वापस ले लिया गया है - जमुई के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी जमुई जिलादेश संख्या 508/2023 को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए - याचिकाकर्ता की पुष्टि की सेवा की तिथि को रद्द करने और याचिकाकर्ता की पुष्टि की तिथि 6/3/1983 निर्धारित करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए - प्रतिवादी अधिकारियों की कार्रवाई को मनमाना माना जाता है और इसे अलग रखा जाना चाहिए और यह माना जाता है और घोषित किया जाता है कि कोई वसूली नहीं

की जाएगी याचिकाकर्ता के खिलाफ उपरोक्त आदेश के अनुसार, क्योंकि वह पूरक प्रशिक्षण परीक्षा में देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है - याचिकाकर्ता को 6/3/1983 को रोहतास जिला पुलिस बल में जनरल कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसके बाद उसे ड्राइवर कांस्टेबल के रूप में जमुई जिला बल में स्थानांतरित कर दिया गया था - याचिकाकर्ता 26/11/1984 को बुनियादी प्रशिक्षण परीक्षा में शामिल हुआ, जिसमें वह लॉ के पेपर में फेल हो गया लेकिन फिर उसने बाद में परीक्षा पास कर ली - याचिकाकर्ता को प्रथम एसीपी का लाभ दिया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा 9/8/1999 को, दूसरा एमएसीपी 12/3/2009 को और तीसरा एमएसीपी 12/3/2019 को जारी किया गया था- उसके बाद पुलिस अधीक्षक, जमुई ने 22/7/2021 के ज्ञापन के माध्यम से याचिकाकर्ता और अन्य, जिन्होंने बुनियादी प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी, को पूरक प्रशिक्षण परीक्षा में उपस्थित होने के लिए भेजा था, जिसमें याचिकाकर्ता उपस्थित हुआ और बाद में 8/2/2022 को उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया- इसके बाद याचिकाकर्ता 31/1/2023 को सेवानिवृत्त हो गया- सेवानिवृत्ति के बाद पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर रेंज ने 24/4/2023 के आदेश द्वारा प्रथम एसीपी, द्वितीय एमएसीपी और तृतीय एमएसीपी के लाभों को रद्द/वापस ले लिया है और याचिकाकर्ता केवल प्रथम एसीपी के अनुदान का ही हकदार होगा 8/2/2022 जिस दिन उन्होंने बुनियादी प्रशिक्षण की पूरक परीक्षा उत्तीर्ण की- पुलिस अधीक्षक, जमुई ने परिणामी आदेश दिनांक 28/2/2023 जारी किया, जिसे वर्तमान कार्यवाही में भी चुनौती दी गई है- इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 28/11/2023 के आदेश को पुन: प्रस्तुत किया जाता है- कहीं भी यह नहीं दर्शाया गया है कि बुनियादी प्रशिक्षण परीक्षा, विशेष रूप से कानून के पेपर को उत्तीर्ण करना एसीपी/एमएसीपी योजना का लाभ प्रदान करने के लिए एक शर्त है- इस न्यायालय को लगता है कि किसी भी विभागीय परीक्षा/बुनियादी प्रशिक्षण परीक्षा को उत्तीर्ण करना एसीपी/एमएसीपी योजना का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से एक शर्त नहीं हो सकती है- मामले का पहलू पिछले निर्णयों द्वारा कवर किया गया है- यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि याचिकाकर्ता से कोई वसूली नहीं की जा सकती है, जो पहले ही सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका है क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा न तो कोई धोखाधड़ी की गई है और न ही गलत बयानी की गई है, जिसके कारण वेतन की अधिक राशि का भुगतान हुआ है, जबकि यह प्रतिवादी अधिकारियों की ओर से लापरवाही और लापरवाही है, जिसके कारण वेतन का अधिक भुगतान हुआ है - मामले का यह पहलू माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा स्पष्ट रूप से कवर किया गया है - मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और पूर्वोक्त कारणों से यह न्यायालय पाता है कि पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर रेंज द्वारा पारित दिनांक 24/4/2023 को आरोपित आदेश और साथ ही पुलिस अधीक्षक, जमुई द्वारा पारित दिनांक 28/4/2023 को आरोपित आदेश विकृत और कानून के विपरीत हैं - इसलिए आरोपित आदेश को रद्द किया जाता है - प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को एसीपी/एमएसीपी योजना का लाभ नियत तारीख से बिना इस तथ्य से बाधित हुए प्रदान करें कि याचिकाकर्ता ने इस आदेश की एक प्रति प्राप्त/पेश करने की अवधि के भीतर समय पर बुनियादी प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है - याचिका को अनुमति दी जाती है। निर्दिष्ट:

बिहार राज्य और अन्य बनाम राम सुभज सिंह (2021 का एलपीए नंबर 4, 2022 में रिपोर्ट किया गया (2) पीएलजेआर 773

बिहार राज्य एवं अन्य बनाम अंजनी कुमार 2013 (2) पीएलजेआर 643

बिहार राज्य एवं अन्य बनाम श्रीमती जिवाची देवी 2020 (2) बीएलजे 471

बिहार राज्य और अन्य बनाम श्री कृष्ण सिंह और अन्य (2019 का एल.पी.ए. नंबर 372)

अमरेश कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य 2023 (2) पीएलजेआर (एससी) 423
पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम रफीक मसीह एवं अन्य 2015 (4) एससीसी 334
थॉमस डेनियल बनाम केरल राज्य और अन्य 2022 एससी ऑनलाइन 536

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय

दिनांक: 01-04-2024

वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई हैः .

"1. (क) उप महानिरीक्षक, मुंगेर रेंज, मुंगेर द्वारा जारी ज्ञापन संख्या 2470 दिनांक 24/04/2023 में निहित आदेश को रद्द करते हुए, सर्टिओरी की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए, जिसके तहत याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद, प्रथम एसीपी, द्वितीय एमएसीपी और तृतीय एमएसीपी, जो क्रमशः 09.08.1999, 12.03.2009 और 12.03.2019 को प्रदान की गई थी, को वापस ले लिया गया है/रद्द कर दिया गया है और यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता 08.02.2022 को प्रथम एसीपी के अनुदान का हकदार होगा, जिस दिन उसने बुनियादी प्रशिक्षण की अपनी पूरक परीक्षा उत्तीर्ण की थी।

(ख) पुलिस अधीक्षक, जमुई द्वारा जारी जमुई जिलादेश संख्या 508/2023 को निरस्त करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए, जिसके तहत उप महानिरीक्षक, मुंगेर रेंज, मुंगेर द्वारा जारी ज्ञापन संख्या 2470 दिनांक 24/04/2023 में निहित आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद, प्रथम एसीपी, द्वितीय एमएसीपी और तृतीय एमएसीपी, जो क्रमशः 09.08.1999, 12.03.2009 और 12.03.2019 को प्रदान की गई थी, को वापस ले लिया गया है/रद्द कर दिया गया है और यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता 08.02.2022 को प्रथम एसीपी के अनुदान का हकदार होगा, जिस दिन उसने अपना अनुपूरक बेसिक प्रशिक्षण की परीक्षा।

(ग) याचिकाकर्ता की सेवा की पुष्टि की तिथि को 08.02.2022 से निरस्त करते हुए, तथा उसके बाद याचिकाकर्ता की पुष्टि की तिथि 06.03.1983 निर्धारित करते हुए, प्रमाण पत्र की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए।

(घ) यह घोषित करने के लिए कि प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा क्रमशः 09.08.1999, 12.03.2009 और 12.03.2019 को प्रदान की गई प्रथम ए.सी.पी., द्वितीय एम.ए.सी.पी. और तृतीय एम.ए.सी.पी. को रद्द करने की कार्रवाई मनमानी, अविवेकपूर्ण और अवैध है और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।

(ङ) यह मानते हुए और घोषित करते हुए कि याचिकाकर्ता के खिलाफ उपरोक्त आदेशों के तहत कोई वसूली नहीं की जाएगी क्योंकि वह पूरक प्रशिक्षण परीक्षा में देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है।

2. याचिकाकर्ता के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को 06.03.1983 को रोहतास जिला पुलिस बल में सामान्य कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसके बाद उसे ड्राइवर कांस्टेबल के रूप में जमुई जिला बल में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता 26.11.1984 को बुनियादी प्रशिक्षण परीक्षा में उपस्थित हुआ था, हालांकि, वह कानून के पेपर में असफल रहा था, लेकिन बाद में उसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। फिर भी, याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 09.08.1999 को प्रथम ए.सी.पी., 12.03.2009 को द्वितीय एम.ए.सी.पी. और 12.03.2019 को तृतीय एम.ए.सी.पी. का लाभ दिया गया। इसके बाद, पुलिस अधीक्षक, जमुई ने 22.07.2021 के ज्ञापन के माध्यम से याचिकाकर्ता और अन्य, जिन्होंने बुनियादी प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी, को प्राथमिक विद्यालय, नाथ नगर में आयोजित होने वाली पूरक प्रशिक्षण परीक्षा में उपस्थित होने के लिए भेजा था, जिसमें याचिकाकर्ता उपस्थित हुए थे और बाद में 08.2.2022 को उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता तब 31.01.2023 को सेवानिवृत्त हो गए थे।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर रेंज ने दिनांक 24.04.2023 के आक्षेपित आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को पूर्वोक्त अनुसार प्रदान किए गए प्रथम एसीपी, द्वितीय एमएसीपी तथा तृतीय एमएसीपी के लाभों को इस आधार पर रद्द/वापस ले लिया है कि याचिकाकर्ता दिनांक 08.02.2022 से प्रथम एसीपी प्राप्त करने का हकदार होगा, जिस दिन उसने बुनियादी प्रशिक्षण की पूरक

परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक, जमुई ने दिनांक 28.04.2023 को परिणामी आदेश जारी किया था, जिसे वर्तमान कार्यवाही में भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि प्रतिवादी पुलिस विभाग में ऐसा कोई नियम/विनियम मौजूद नहीं है, जो यह निर्धारित करता हो कि एसीपी/एमएसीपी का लाभ देने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना एक शर्त है। मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, यह दलील दी जाती है कि इस संबंध में कानून अब लागू नहीं है, क्योंकि इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ ने ***बिहार राज्य एवं अन्य बनाम राम सुभग सिंह*** (एलपीए संख्या 4/2021) के मामले में, ***2022 (2) पीएलजेआर 773*** में दिनांक 11.5.2022 के निर्णय द्वारा यह माना है कि विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न करना समयबद्ध पदोन्नति/एसीपी/एमएसीपी का लाभ देने में बाधा नहीं होगी।

4. याचिकाकर्ता के वकील द्वारा आगे तर्क दिया गया है कि मामले के उपरोक्त पहलू को इस माननीय न्यायालय द्वारा ***बिहार राज्य एवं अन्य बनाम अंजनी कुमार, 2013 (2) पीएलजेआर 643*** में रिपोर्ट किए गए मामले में दिए गए निर्णय द्वारा भी निर्णायक रूप से तय किया गया है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी (सी) संख्या 19182/2013 में पारित दिनांक 10.3.2014 के आदेश द्वारा भी बरकरार रखा गया है। इस संबंध में, इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ द्वारा ***बिहार राज्य एवं अन्य बनाम श्रीमती जीवछी देवी, 2020 (2) बीएलजे 471*** में रिपोर्ट किए गए मामले में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ दिया गया है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी बरकरार रखा गया है। प्रतिवादी-राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज किए जाने के मद्देनजर याचिकाकर्ता के वकील ने अगले मामले में इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ द्वारा ***बिहार राज्य एवं अन्य बनाम श्री कृष्ण सिंह एवं अन्य (एल.पी.ए. संख्या 372/2019)*** के मामले में दिए गए निर्णय का हवाला दिया। अंत में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***अमरेश कुमार सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य*** के मामले में हाल ही में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया गया है, जो ***2023(2) पीएलजेआर (एससी) 423*** में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें यह माना गया है कि एसीपी का लाभ प्रदान करना, जो विशुद्ध रूप से और केवल मौद्रिक लाभ प्रदान करने की प्रकृति का है, वास्तव में किसी भी उच्च पद पर कोई पदोन्नति किए बिना, अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता न रखने के कारण रोका नहीं जा सकता है, इसलिए एसीपी/एमएसीपी का लाभ देने के प्रयोजनों के लिए किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता, जो एक सेवानिवृत्त कर्मचारी है, से कोई वसूली नहीं की जा सकती है, खासकर तब जब उसके द्वारा

न तो कोई गलत बयान दिया गया है और न ही कोई धोखाधड़ी की गई है जिसके कारण उसे अधिक वेतन का भुगतान करना पड़ा है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह और अन्य*** के मामले में दिए गए निर्णयों का संदर्भ दिया गया है, जो ***(2015) 4 एससीसी 334*** में रिपोर्ट किया गया है और ***थॉमस डैनियल बनाम केरल राज्य और अन्य*** के मामले में दिए गए निर्णयों का भी संदर्भ दिया गया है; जो ***2022 एससी ऑनलाइन एससी 536*** में रिपोर्ट किया गया है।

6. इसके विपरीत, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान मामले में दायर पूरक जवाबी हलफनामे का हवाला देते हुए कहा है कि प्रतिवादियों ने पुलिस आदेश संख्या 268/99 जारी किया है, जिसमें आंतरिक पृष्ठ संख्या 6 पर उल्लेख किया गया है कि कुछ विषयों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने बुनियादी प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी, इसलिए उसे एसीपी/एमएसीपी योजना का कोई लाभ नहीं दिया जा सकता था।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है। यह न्यायालय, सर्वप्रथम, वर्तमान मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 28.11.2023 के आदेश को नीचे पुनः प्रस्तुत करता है:-

> ''प्रतिवादी राज्य के विद्वान वकील ने उस योजना को रिकॉर्ड में लाने के लिए कुछ समय मांगा है, जिसमें बुनियादी प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करने की बात कही गई है, विशेष रूप से कानून का पेपर, जिसमें याचिकाकर्ता फेल हो गया था, लेकिन बाद में पास हो गया, ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि परीक्षा पास न करने पर याचिकाकर्ता एसीपी/एमएसीपी योजना के लाभों के अनुदान से वंचित हो जाएगा। ''

8. यद्यपि प्रतिवादी-राज्य ने उपरोक्त पुलिस आदेश संख्या 268/99 को रिकॉर्ड पर लाते हुए एक पूरक जवाबी हलफनामा दायर किया है, तथापि, इसमें कहीं भी यह नहीं दर्शाया गया है कि बुनियादी प्रशिक्षण परीक्षा, विशेष रूप से कानून का पेपर उत्तीर्ण करना एसीपी/एमएसीपी योजना का लाभ प्रदान करने के लिए एक शर्त है। इस प्रकार, यह न्यायालय पाता है कि किसी भी विभागीय परीक्षा/बुनियादी प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना एसीपी/एमएसीपी योजना का लाभ प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए एक शर्त नहीं हो सकती है। मामले का यह पहलू याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित उपरोक्त

निर्णयों द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***अमरेश कुमार सिंह*** (सुप्रा) के मामले में और साथ ही इस न्यायालय की एलडी डिवीजन बेंच द्वारा ***राम सुभग सिंह*** (सुप्रा), ***अंजनी कुमार*** (सुप्रा), ***श्रीमती जिवाची देवी*** (सुप्रा) और ***श्री कृष्ण सिंह और अन्य (सुप्रा)*** के मामले में दिए गए हैं। जिनमें से कुछ को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा है।

9. यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि याचिकाकर्ता से कोई वसूली नहीं की जा सकती, जो पहले ही सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका है, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा न तो कोई गलत बयानी की गई है और न ही कोई धोखाधड़ी की गई है, जिसके कारण उसे अधिक वेतन का भुगतान करना पड़ा है, जबकि प्रतिवादी अधिकारियों की ओर से लापरवाही और लापरवाही के कारण उसे अधिक वेतन का भुगतान करना पड़ा है। मामले का यह पहलू माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***रफीक मसीह एवं अन्य*** (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णयों द्वारा स्पष्ट रूप से कवर किया गया है, जिसकी रिपोर्ट ***(2015) 4 एससीसी 334*** में की गई है, साथ ही ***थॉमस डैनियल*** (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णयों द्वारा भी, जिसकी रिपोर्ट ***2022 एससी ऑनलाइन एससी 536*** में की गई है।

10. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा उपरोक्त कारणों से, यह न्यायालय पाता है कि पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर रेंज द्वारा पारित दिनांक 24.04.2023 का आदेश तथा पुलिस अधीक्षक, जमुई द्वारा पारित दिनांक 28.04.2023 का आदेश गलत और कानून के विरुद्ध है, अतः इन्हें निरस्त किया जाता है। प्रतिवादी प्राधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को नियत तिथि से एसीपी/एमएसीपी योजना का लाभ प्रदान करें, इस तथ्य से बाधित हुए बिना कि याचिकाकर्ता ने समय पर बुनियादी प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, इस आदेश की प्रति प्राप्त होने/पेश होने के चार सप्ताह के भीतर।

11. रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

एस्.एसबी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक,

कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।